



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1358]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/ आषाढ़ 4, 1937

No. 1358]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASHADHA 4, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2015

का.आ. 1726(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
“505	खाब सगम – चांगो – सुमदो – ताबो – अट्टारगो – कजा – मोरंग – हंसे – लोसर – लाचू – छोटा धरा – ग्रामफू खंड (हिमाचल प्रदेश राज्य में)	282 किमी”

[फा.सं. एनएच-14013/8/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड एम)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

S.O. 1726(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

New National Highway number	Section	Length in kilometers
(1)	(2)	(3)
“505	Khab Sangam-Chango-Sumdo-Tabo-Attargo-Kaza-Morang-Hanse-Losar-Lachu-Chhota Dhara-Gramphoo section (In the State of Himachal Pradesh)	282 kms”

[F. No. NH-14013/8/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2015

का.आ. 1727(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (3) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (2) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
“9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, रारा सं. 20ए, रारा सं. 21 (किमी 73.200 से किमी 190.000 तक को छोड़कर), सं. 22 [किमी 337.140 से किमी 368.000 सहित	हिमाचल प्रदेश राज्य

(वांगटू – पोवारी खंड) लेकिन सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों को छोड़कर तथा 62.200 किमी से 67.200 किमी तक (हरियाणा/हिमाचल सीमा-दिल्ली) को छोड़कर], सं. 21ए, सं. 70, सं. 72, सं. 72बी, सं. 73ए, सं. 88, नई रारा सं. 154ए, नई रारा सं. 305, नई रारा सं. 503, (मतौर – धर्मशाला – मैकलॉयडगंज खंड) और नई रारा सं. 503वि. के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।	सरकार”
---	--------

[फा. सं. एनएच-14013/8/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड एम)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार सं.का.आ.-1037 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

S.O. 1727(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“9	So much of National Highways No. 20, No. 20A, No.21 (excluding from km. 73.200 to km. 190.000), No.22 [including from km. 337.140 to km. 368.000 (Wangtu-Powari section) but excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from km. 62.200 to km. 67.200 (Haryana/Himachal Border-Delhi)], No. 21A, No.70, No.72, No. 72B, No.73A, No.88, new NH No. 154A, new NH No. 305, new No. 503 (Mataur-Dharamshala-Macleodganj section) and new NH No. 503 Extn as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh.”

[F. No. NH-14013/8/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note:-The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1037 (E), dated the 17th April, 2015.